पत्रांक –04 / वि0स0अता0प्र0–125 / 2012 / ....725,...... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
अपर सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

पटना–15, दिनांक– 20/2/13

**विषयः– श्रीमति गुलजार देवी, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त अतारांकित प्रश्न के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 10 मु0 / आ0प्र0 दिनांक–22.01.2013 एवं पत्रांक 189 / आ0प्र0 दिनांक–23.09.2012 के प्रसंग में कहना है कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने पर अनुग्रह अनुदान भुगतान संबंधी विभागीय पत्रांक 70 / आ0प्र0 दिनांक–12.01.2009 द्वारा संसूचित निर्णय वर्ष 2007 में घटित प्राकृतिक आपदा (बाढ़) की घटना पर लागू होगा अथवा नहीं इस संबंध में दिशानिर्देश की मांग की गई है।

**उपरोक्त के संबंध में दिनांक–13.02.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि विभागीय पत्रांक 70 / आ0प्र0 दिनांक–12.01.2009 द्वारा संसूचित निर्णय को वर्ष 2008–09 में एवं उसके उपरांत घटित घटनाओं पर ही लागू माना जायगा।**

अतएव, राज्य कार्यकारिणी समिति के उपरोक्त निर्णय के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/- 20/2/13

(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक–....725,.......... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 20/2/13.

**प्रतिलिपि**– सभी जिला पदाधिकारी (मधुबनी को छोड़ कर) बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/2/13

अपर सचिव

D:\youjana 2013\letter 14-02-13 rajeev sir.docx